उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या : 06/2017/सीपी 8/84-2-2017-सीपी-9/2015

लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 14/2016/सीपी-683/84-2-15-सीपी-9/15 दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा श्री सुरेश सिंह यादव पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह यादव, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), फ्लैट नम्बर-106, ब्लाक-सी, कृष्णा, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट, शास्त्री पुरम, आगरा की नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में श्री सुरेश सिंह यादव को निर्देशित किया गया था कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवसों के अन्दर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण करें।

3. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: 4194/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 36/16 दिनांक 19 सितम्बर, 2016 में प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेश सिंह यादव द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है जबकि निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्रांक 1328/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/अधि0 36/16 दिनांक 24 जून, 2016 एवं पत्रांक: 1804/ एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 36/16 दिनांक 19 जुलाई, 2016 द्वारा श्री सुरेश सिंह यादव को निर्देशित किया गया था कि अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में की गयी अपेक्षा अनुसार निर्धारित अवधि में जिला फोरम, श्रावस्ती में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें। इस निर्देश के बावजूद श्री सुरेश सिंह यादव द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप निबंधक, राज्य आयोग द्वारा श्री सुरेश सिंह यादव की नियुक्ति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अत: शासन के पत्र संख्या: सीपी 580/84-2-2016-सीपी-9/2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्री सुरेश सिंह यादव को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया कि शासन की प्रश्नगत अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभी तक जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। अत: क्यों न जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती में की गयी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाय। यह कारण बताओ नोटिस श्री सुरेश सिंह यादव को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी परन्तु उनका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि श्री सुरेश सिंह यादव को कुछ नहीं कहना है तथा वे जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं।

....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. अत: श्री राज्यपाल एतदद्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर श्री सुरेश सिंह यादव पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह यादव, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), फ्लैट नम्बर-106, ब्लाक-सी, कृष्णा, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट, शास्त्री नगर, आगरा की नियुक्ति को निरस्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
3. कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
4. कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग) ।
5. श्री सुरेश सिंह यादव पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह यादव, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), फ्लैट नम्बर-106, ब्लाक-सी, कृष्णा, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट, शास्त्री पुरम, आगरा।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।